राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2422/2011/आबकारी/अलवर.

मैसर्स ग्लोबस स्प्रिट प्रा. लि. श्यामपुरा बहरोड़, अलवर
जरिये श्री जितेन्द टांक सीनियर सेल्स ऑफिसर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राजेश गौतम, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी मैसर्स ग्लोबस स्प्रिट प्रा0 लि0 अलवर द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान जयपुर के प्रकरण संख्या प–29/बी/ /1/अभि./आब/11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.09.2011 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(ए) के तहत प्रस्तुत की गयी है जिसमें आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आबकारी निरीक्षक द्वारा स्थापित अभियोग जो कि अधिनियम की धारा 58(सी) के तहत पंजीकृत किया गया था, को संयोज्य करने के आदेश किये गये हैं।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा परिवहनित की जा रही देशी मदिरा हीररांझा ब्राण्ड की जांच की जाने के पश्चात् नमूनों की जांच आबकारी प्रयोगशाला उदयपुर से करवाई जाने पर निर्धारित तेजी से भिन्न तेजी पाये जाने पर आबकारी निरीक्षक वृत–अजमेर (दक्षिण) द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 58(सी) के तहत अभियोग पंजीकृत कर अपीलार्थी व्यवहारी के अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। उक्त अभियोग के पंजीकृत होने पर अपीलार्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि द्वारा उक्त अभियोग को आबकारी अधिनियम की धारा 70 के तहत संयोज्य करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकार कर आबकारी अधिनियम की धारा 70 के तहत संयोज्य करने के आदेश दिये गये जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी को रूपये 2,10,000/– संयोज्य राशि जमा कराने के आदेश दिये गये एवं इसकी एवज में अपीलार्थी व्यवहारी का अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया गया।

लगातार.....2

3. उक्त आदेश में यह भी निर्णीत किया गया कि यदि संयोज्य राशि जमा नहीं कराई जाती है तो आबकारी अधिनियम की धारा 34(सी) एवं आबकारी नियम 1956 के नियम 76(सी) के तहत अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संयोज्य की गई राशि जमा करवा दी गई।

4. अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में यह कथन किया है कि आबकारी आयुक्त का विवादित आदेश न्यायिक निर्णयों एवं रेकॉर्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलार्थी के अभिभाषक ने कथन किया कि अदालत का आदेश अस्पष्ट, कारणरहित एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह भी कथन किया कि डिपो प्रभारी द्वारा शराब के सेम्पल ठीक प्रकार से नहीं लिये गये एवं बिना किसी प्रकार की जांच किये एकतरफा आदेश प्रदान किया गया है एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

5. विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि उनकी स्वयं की निर्मित शराब की जांच उनकी लेबोरेट्री में की जाती है एवं प्रत्येक बेच की जांच सी.पी.ए. जयपुर एवं जगदम्बा लेबोरेट्री जयपुर में भी करवाई जाती है एवं उनके द्वारा निर्मित मदिरा सही निर्मित की हुई थी। यह भी कथन किया कि उनके द्वारा विवादित सेम्पल जो कि बेच नं0 213 का निर्गमन था उसकी जांच और स्थानों पर भी की गयी थी एवं सही पायी गयी थी। उक्त कथन के साथ आबकारी आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय आदेश आबकारी अधिनियम की धारा 70 के तहत पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं ने अपने अभियोग को संयोज्य करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.06.2011 को प्रस्तुत किया था। कथन किया कि किसी अभियोग को संयोज्य करवाने के उपरान्त उसके विरूद्ध अपील किया जाना अनुमत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की **अपील संख्या 1314/2013 श्रीमती रश्मि शर्मा बनाम स्टेट में दिनांक 08.09.2016** में पारित निर्णय का दृष्टांत पेश किया जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि कम्पोजिशन करने के पश्चात् उस आदेश के विरूद्ध अपील किया जाना अनुमत नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकर किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

लगातार.....3

8. पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आबकारी निरीक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 10.11.2010 को अपीलार्थी की मदिरा की जांच की जाने एवं इसकी आबकारी प्रयोगशाला उदयपुर से जांच कराने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.11.2010 के अनुसार जांच की गई मदिरा अधिक तेजी की पाये जाने पर दिनांक 12.11.2010 को जिला आबकारी अधिकारी अजमेर को सूचना प्रेषित की गई एवं अभियोग संख्या 19/2010–11 दिनांक 19.11.2010 पंजीकृत किया गया एवं उक्त अभियोग के पंजीकृत होने सम्बन्धी सूचना आबकारी निरीक्षक वृत–अजमेर के पत्र क्रमांक 441 दिनांक 22.11.2010 के द्वारा व्यवहारी को दी गई जिसमें पत्र प्राप्ति के 7 दिवस की अवधि के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। उक्त पत्र की प्राप्ति के पश्चात् 7 माह बाद दिनांक 07.06.2011 को अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जिला आबकारी अधिकारी अजमेर को केस नंबर 19 संयोज्य कराने का पत्र दिया गया जिसके क्रम में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन–अजमेर के मार्फत अनुज्ञाधारी अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 58(सी) के तहत संयोज्य कराने हतु पत्रावली आबकारी आयुक्त को भिजवाई गई। उक्त प्रार्थना–पत्र का निस्तारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए संयोज्य राशि रूपये 2,10,000/– निर्धारित करते हुए अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रूपये 1,57,500/– जमा करवा दिये गये साथ ही माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपील भी प्रस्तुत कर दी गयी।

9. प्रकरण के उक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध स्थापित अभियोग में अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन करना पाया गया था, जिसके आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता था, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं ने उक्त अभियोग को कम्पाउण्ड कराने हेतु आबकारी अधिनियम की धारा 70 में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की कार्यवाही को रूकवाते हुए अभियोग कम्पाउण्ड करवाया गया। ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए केस को कम्पाउण्ड करवा दिया गया। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी अभियोग में अपराध की स्वीकारोक्ति के पश्चात् एवं स्वयं की प्रार्थना पर कम्पाउण्ड कर देने के बाद किसी भी तरह की अपील किया जाना अनुमत नहीं है। माननीय कर बोर्ड द्वारा भी इस सम्बन्ध में **अपील संख्या 1314/2013** में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि कम्पोजिशन के विरूद्ध कोई भी अपील चलने योग्य नहीं रहती है।

लगातार.....4

10. अपीलार्थी व्यवहारी ने स्वयं अभियोग को प्रमाणिक मानने पर अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही से बचने के लिये स्वयं ने बिना किसी दबाव के अभियोग को कम्पाउण्ड कराना चाहा गया था, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कार्यवाही के दौरान अधिक सजा से बचने के लिये अभियोग में अपराध स्वीकार कर कम्पोजिशन राशि जमा करवाना स्वीकार किया था। इस तरह उक्त स्वीकारोक्ति के बाद में किसी भी तरह की सुनवाई का अवसर दिये जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी एवं इसी अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित करते हुए अनुज्ञापत्र को निरस्त करने के स्थान पर केवल संयोज्य राशि जमा कराने का आदेश कर न्यायिक राहत प्रदान की गयी थी। इसके पश्चात् इस तरह की अपील प्रस्तुत करने का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि गम्भीर सजा से बचाव के लिये पहले स्वयं अपराध की स्वीकारोक्ति की जावे एवं उसके पश्चात् उसी मामले में और अधिक राहत प्राप्त करने के लिये उच्चतर न्यायिक व्यवस्था का उपयोग किया जावे, जो विधिसम्मत नहीं है।

11. उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति तथा न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया ।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य